

सरवर्क
राजस्थान सरकार

2021
2-08

2

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बनेड़ा.

किस्म मुकदमा	मुकदमा नं. एवं वर्ष	तारीख दायर	ग्राम का नाम	तारीख फैसल	नं. फैसल	तारीख फैशी
श.प.ज	330 2021	15-12-21	रायला			


अनवान

श्री राजीव कुमार पिता किराता खर्क बनाम श्री राज. सरक
बिवासी रायला




रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. रायपुर

महोदयजी, प्रस्तावित क्षेत्रों के दस्तावेज व प्रमाण पत्र व जोख से बाजू उर्फ रायपुर कुमा
एक ही व्यक्ति द्वारा राजू 510 किसान खरीद के बजाय राजू उर्फ रायपुर कुमा
किसान खरीद जमखरी में किया जाना उचित है।


P. L. Singh
29/11/21


रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी एवं ILR एवं संलग्न दस्तावेज पत्र
आधार, राशन Card, school marksheet, सरपंच प्रमाण
पत्र सुद्धि किया जाना उचित है।


10/11/21

आदेश

रिपोर्ट तहसीलदार के केंद्र के अनुसार
सुद्धि किया जाना उचित है।


उपखण्ड अधिकारी

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर [REDACTED] जिला [REDACTED]
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी 214/11
व भूअ.नि. 214/11 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार [REDACTED] /नायब
तहसीलदार 214/11 की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम 214/11 तहसील [REDACTED] व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2020 में खाता संख्या 209, 210 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
	रायला	209	राजू उर्फ राजीव कुमार भुस भिखना	राजू उर्फ राजीव कुमार भुस भिखना 209/8

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

दिनांक :- 20/11/21

क्रमांक:-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,